Tubular Fluorescent Lamps

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Tubular Fluorescent Lamps (Superseding energy consumption standards effective from 1st July, 2018)	14(b)	S.O.1033 (E) dated 9th March, 2018	IS 2418 (Part I and II) With all amendments
	14(a)	S.O.1034 (E) dated 9th March, 2018	
	14(d)	No. BEE/S&L/TFL/63/2017-18 dated 9th March, 2018	
Existing Notification (valid till 30th June, 2018)	14(b)	S.O 178 (E) dated 16th January, 2009	
	14(a)	S.O. 179 (E) dated 16th January, 2009	
	14(d)	No.2/11(5)/03-BEE.1 dated 6th July, 2009	
	Amendment I	No.2/11(5)/03-BEE.1 dated 5th January, 2010	

India Code

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 916] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

का.आ. 1033(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 178(अ) द्वारा तारीख 12 जनवरी, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके आवरक सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए ऐसे टुबुलर फ्लोरेसेंट लैम्पों को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके अंतर्गत सभी वाट संख्याओं वाले ऐसे लैम्प हैं जिनका सांकेतिक आयाम 1100 मि.मी. से आरंभ करते हुए 1500 मि.मी. तक है और जिनमें लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए हैलो-फोस्फेट प्रवर्ग के लिए 6500 केल्विन और ट्राई-फोस्फेट प्रवर्गों के लिए 2700 केल्विन, 4000 केल्विन और 6500 केल्विन के आवरक प्रकाश तापमान वाले लैम्प भी हैं और निदेश देती है कि किसी ऐसे साधित्र या साधित्रों के वर्ग, लेवल पर ऐसी विशिष्टियों को ऐसी रीति में जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2018 में विनिर्दिष्ट है, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 13/15/2016- ई सी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

S.O. 1033(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 178(E), dated the 12th January, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the tubular fluorescent lamps for general lighting services covering all

wattages with nominal dimension starting from 1100 millimetre and upto1500 millimetre covering colour temperature of 6500 kelvin for halo-phosphate category, and 2700 kelvin, 4000 kelvin and 6500 kelvin for tri-phosphate categories for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018.

[F. No. 13/15/2016-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

का.आ. 1034(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 179(अ) द्वारा तारीख 12 जनवरी, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके स्टार लेबल टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंपों के ऊर्जा खपत के लिए निम्नलिखित मानक विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. 1100 मि.मी. से आरंभ करते हुए और 1500 मि.मी. लंबाई तक सांकेतिक आयाम वाला या भारतीय मानक 2418 (भाग 2) के अंतर्गत आने वाले अधिकतम सांकेतिक आयाम वाला प्रत्येक टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप जिसका भारत में, यथास्थिति, विनिमार्ण वाणिज्यिक रूप से क्रय, विक्रय या आयात किया जा रहा है,--

(i) आई एस 2418 (भाग I) के खंड 7.1 से 7.4 में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं का पालन करेगा;

(ii) आई एस 2418 (भाग II) में विनिर्दिष्ट सुसंगत लैंपों के लिए इटैंडर्ड लैम्प डाटा शीट्स के अनुसार सभी क्रिया अपेक्षाओं का पालन करेगा ; और

(iii) बीआईएस प्रमाणीकरण चिन्ह लगाएगा ।

2. (1) परिभाषाएं.- इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "ल्यूमेर अनुरक्षण" से किसी व्यष्टिक लैंप के, 2000 घंटे के प्रचालन या उसके रेटेड जीवन के 70 प्रतिशत, जैसा भी हो, के पश्चात् प्रदीप्त प्रवाह का, रेटिंग परीक्षण पाए गए या भारतीय मानक 2418 (भाग 1) में यथाविनिर्दिष्ट उसके प्रदीप्त प्रवाह का अनुपालन अभिप्रेत है;

(ख) "प्रदीप्त दक्षता" से रेटेड वोल्टेज़ और आवृति पर लैम्प की प्रति यूनिट विद्युत खपत का प्रदीप्त प्रवाह अभिप्रेत है जो ल्यूमेन प्रतिवाट (एल एम/ डब्ल्यू) होगा;

(ग) "प्रदीप्त प्रवाह" से किसी प्रकाश स्त्रोत या किसी ल्यूमेनेयर द्वारा दिया गया या किसी सतह द्वारा प्राप्त किया गया प्रकाश अभिप्रेत है ऐसी दिशा को, जिसमें इसका वितरण किया जाता है, विचार में लिए बिना । प्रदीप्त प्रवाह का यूनिट ल्यूमेन (एलएम) है ;

(घ) "रेटेड प्रदीप्त प्रवाह" से लैम्प पर चिन्हित या पूर्तिकार जो उत्सर्जन से पराबैंगनी विकिरण द्वारा उदीप्त होती है द्वारा घोषित प्रदीप्त प्रवाह अभिप्रेत है;

(ड) "रेटेड वाट संख्या" से लैम्प पर चिन्हित वाट-संख्या अभिप्रेत है;

(च) "टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप" से ऐसा टुबुलर रूप का निम्न दाब पारद विसर्जन लैम्प अभिप्रेत है जो या तो सीधा है अथवा वक्र है और जिसमें से सर्वाधिक प्रकाश का विसर्जन फ्लोरेसेंट सामग्री की परत द्वारा उत्सर्जित होता है, जो उत्सर्जन से पराबैंगनी विकिरण द्वारा उद्दिप्त होती है;

(छ) "वाट-सख्या" से विद्युत माप में उपयोग में लाया गया एस आई व्युत्पन्न यूनिट अभिप्रेत है । विद्युत के निबंधनों के अनुसार वाट-सख्या वोल्टेज (वोल्ट में) द्वारा करंट (एम्पियर में) के गुणनफल के बराबर है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

IndiaCode

3. स्टार रेटिंग या स्टार लेबल प्लान (1) टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप पर लेबल चिपकाया जाएगा जो एक स्टार के अंतराल पर अधिकतम पांच स्टार संप्रदर्शित करेगा ।

(2) टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप को, उनकी आपसी प्रदीप्त दक्षता पर आधारित एक स्टार से पांच स्टार तक रेटेड किया जाएगा और और एक स्टार वाला टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप उस ऊर्जा उपभोक्ता मानक को निर्दिष्ट करेगा जो पैरा 1 के खंड (ii) में यथा उल्लिखित क्रिया अपेक्षाओं का पालन करता है ।

(3) टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप का स्टार लेबल को निम्नलिखित आधार पर अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्रचालन के तीन स्तर के घंटों अर्थात् सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट 0100 घंटों, 2000 घंटों और 3500 घंटों पर प्रत्येक उपभोग के वाट (एलएम/ डब्ल्यू) के अनुसार ल्यूमेन में वास्तविक निर्गम में औसत के आधार पर और तीन प्रचालन घंटों के औसत स्टार लेबलों के निकटतम अंक तक (निम्नतर स्तर से < 0.5 और उच्चतर स्तर तक ≥0.5) पूर्णांकित किया जाएगा टुबुलर फ्लोरेसेंट का स्टार लेबल होगा ।

सारणी 1

(30 जून, 2018 तक विधिमान्य)

स्टार लेबल	*	**	***	****	*****
	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
प्रचालन के 0100 घंटों पर ल्यूमेंस प्रतिवाट	<61	≥61 और <67	≥67 और <86	≥86 और <92	≥92
प्रचालन के 2000 घंटों पर ल्यूमेंस प्रतिवाट	<52	≥52 और <57	≥57 और <77	≥77और <83	≥83
प्रचालन के 3500 घंटों पर ल्यूमेंस प्रतिवाट	<49	≥49 और <54	≥54 और <73	≥73 और <78	≥79

(ii) 100 घंटों के उपयोग पर ल्यूमेंस प्रतिवाट में रेटेड प्रदीप्त दक्षता जो सारणी 2 में विनिर्दिष्ट है ।

सारणी 2

(1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक विधिमान्य)

स्टार लेबल	*	**	***	****	*****
	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
प्रचालन के 0100 घंटों पर ल्यूमेंस प्रतिवाट	≥65 और <75	≥75 और <85	≥85 और <95	≥95 और <110	≥110

(4) टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप का स्टार लेबल प्लान का प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

4. स्टार लेबल अवधारित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परीक्षण मानक के अनुसार परीक्षण किया जाएगा, अर्थात् :-

परीक्षण मानक	परीक्षण मानक का केन्द्र
आई एस 2418 (भाग -1)	परीक्षण – 6 शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उपशीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षण 6.1 परीक्षणों का वर्गीकरण 6.2 परीक्षणों की शर्तें 6.5 पृथक्करण प्रतिरोध परीक्षण 6.6 जलन परीक्षण 6.7 आरंभिक लक्षण का परीक्षण 6.8 विद्युत प्रदीप्तों और रंग लक्षणों का परीक्षण 6.9 जीवन परीक्षण

IndiaCode

(2) सह्यता सीमाएं आई एस 2418 (भाग-1) के खंड 6.2.3 (लैम्प वाट संख्या) 6.2.5 (प्रदीप्त प्रवाह और रंग लक्षणों) और 6.9 (जीवन परीक्षण) के अनुसार लागू होगा

(3) स्टार रेंटिग लेबल के लिए कोई नकारत्मक सह्यता नहीं किया जाएगा और सभी संपरीक्षित लैम्प प्रत्येक स्टार रेटिंग लेबल के लिए न्यूनतम दोहरी सीमा के अनुकूल होगा ।

(4) विनिर्माण संबंधी सह्यता और अन्य अंतरों के विस्तार का हिसाब विनिर्माता द्वारा पूर्णांक के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय दिया जाएगा,-

(क) विद्युत उपयोग का मूल्य (वाट), प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेंस), प्रदीप्त दक्षता (एल एम डब्ल्यू) को एक दशमलव स्थानों तक निकटतम पूर्णांकित किया जाएगा ;

(ख) मूल्य आई एस 2: 1960 के अनुसार संबंधित महत्वपूर्ण अंकों की पुनः पुष्टि करने के लिए 2000 को पूर्णांकित किया जाएगा ।

(4) 1 जुलाई, 2018 से पुनरीक्षित स्टार लेबल के प्रवृत्त में आने पर प्रत्येक टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप का 2000 घंटे प्रचालन होगा और घोषित जीवन 70 प्रतिशत होगा जिसके अंतर्गत 0100 घंटे की जीवन अवधि भी है, उसकी ल्यूमेन रखरखाव, आई एस 2418 (भाग II) में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत लैम्प डाटा सीट में उपदर्शित मान से कम नहीं होगा ।

5. परीक्षण रिपोर्ट- परीक्षण का परिणाम उपाबंध क में विनिर्दिष्ट फोर्मेट में प्रतिवेदित किया जाएगा ।

उपाबंध क

(पैरा 5 देखें)

परीक्षण के परिणाम का रिपोर्ट देने के लिए प्ररुप (प्रत्येक/टाइप माडल के लिए अलग अलग परीक्षण रिपोर्ट के फोर्मेट का उपयोग किया जाए)

परीक्षण रिपोर्ट सं. **तारीख :**

1. **टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंपों के ब्यौरे**:

(i) ब्रांड:

(ii) माडल का नाम : (यदि कोई हो):

(iii) रेटेड वाट-संख्या (वाटों में):

(iv) टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप का आकार (मि.मी. में):

(v) कैप टाइप:

(vi) रेटेड रंजक तापमान (केल्विन में):

(vii) रेटेड प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेंस में):

(viii) रेटेड दक्षता (ल्यूमेंस /वाट में):

2. **परीक्षण का सारांश**:

(i) विनिर्माता/प्रयोगशाला का नाम और पता:

(ii) टुबुलर फ्लोरेसेंट लैंप के नमूना के प्राप्ति की तारीख:

(iii) परीक्षण की तारीख:

(iv) परीक्षण कार्मिक का नाम:

(v) परीक्षण की प्रकृति और संचालित परीक्षण के ब्यौरे:

(vi) सांकेतिक परीक्षण शर्त:

(vii) परीक्षण मानक:

(viii) मताभिव्यक्ति और परीक्षण परिणाम:

IndiaCode

(क) 0100 घंटों में नमूना का ल्यूमेंस/ वाट इस प्रकार है: –

क्रम सं.	वाट-संख्या	ल्यूमेंस	ल्यूमेंस/वाट
1.			
2.			
.....			

(ख) 2000 घंटों में नमूना वाट का ल्यूमेंस/ वाट इस प्रकार है –

क्रम सं.	वाट-संख्या	ल्यूमेंस	ल्यूमेंस/वाट
1.			
2.			
.....			

(ग) (i) 3500 घंटों में नमूना वाट का ल्यूमेंस/वाट इस प्रकार है :–

(30 जून, 2018 तक विधिमान्य)

क्रम सं.	वाट-संख्या	ल्यूमेंस	ल्यूमेंस/वाट
1.			
2.			
.....			

(ii) रेटेड जीवन के 70 प्रतिशत में परीक्षित नमूनों का ल्यूमेंस/ वाट इस प्रकार है :–

(1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक विधिमान्य)

क्रम सं.	वाट-संख्या	ल्यूमेंस	ल्यूमेंस/वाट
1.			
2.			
.....			

(ix) पृथक्करण प्रतिरोध परीक्षण:

(x) जलन परीक्षण:

(xi) आरंभिक लक्षण परीक्षण:

(xii) प्रदीप्त प्रवाह और रंगलक्षण का परीक्षण:

(xiii) जीवन परीक्षण रिपोर्ट का सारांश:

[फा. सं. 13/15/2016- ई सी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

S.O. 1034(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 179(E), dated the 12th January, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled tubular fluorescent lamps, namely:-

1. Every tubular fluorescent lamp with nominal dimension starting from 1100 mm and up to 1500mm length or the maximum nominal dimension as covered in IS 2418 (Part II),being manufactured, commercially purchased, sold or imported, as the case may be, in India shall,-

(i) comply with the requirements contained in clauses7.1 to 7.4 of IS 2418 (Part I);

(ii) comply with all the performance requirements as per the standard lamp data sheets for relevant lamps specified in IS 2418 (Part II); and

(iii) carry BIS certification mark.

2. (1) Definitions.- In this notification, unless the context otherwise requires,-

(a) "lumen maintenance" means the ratio of the luminous flux of an individual lamp after 2000 hours of operation, or 70 percent of its rated life, as appropriate, to that found in the rating test, or as specified in IS 2418 (Part I);

(b) "luminous efficacy" means luminous flux of lamp per unit power consumed at rated voltage and frequency which shall be lumen per Watt (lm/W);

(c) "luminous flux" means the light given by a light source or a luminaire or received by a surface irrespective of the directions in which it is distributed. The unit of the luminous flux is the lumen (lm).

(d) "rated luminous flux" means the luminous flux marked on the lamp or declared by the supplier;

(e) "rated wattage" means the wattage marked on the lamp;

(f) "tubular fluorescent lamp" means a low pressure mercury discharge lamp of tubular form either straight or curved in which most of the light is emitted by a layer of fluorescent material excited by the ultra-violet radiation from the discharge.

(g) "wattage" means the SI derived unit used to measure power. In terms of electricity, wattage is equal to current (in amperes) multiplied by voltage (in volts).

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Star rating or star level plan.- (1) There shall be a label affixed on tubular fluorescent lamp which shall display a maximum of five stars with an interval of one star.

(2) The tubular fluorescent lamp shall be rated from star one to star five based on their relative luminous efficacy and the one star tubular fluorescent lamp shall refer to energy consumption standard which complies with the performance requirements as laid down in clause (ii) of paragraph 1.

(3) The star level of the tubular fluorescent lamp shall be determined on the following basis, namely:-

(i) average of actual output in lumens per Watt (lm/W) of energy consumption at three levels of hours of operation, namely, 0100 hours, 2000 hours and 3500 hours as specified in Table 1and the average star levels of the three operating hours be rounded off (<0.5 to lower level and ≥0.5 to higher level) to the nearest integer which shall be the star level of the tubular fluorescent lamp.

Table 1

(Valid till 30th June, 2018)

Star level	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
	1star	2 star	3 star	4 star	5 star
lumens per Watt at 0100 hrs of operation	<61	≥61 and<67	≥67 and<86	≥86 and<92	≥92
lumens per Watt at 2000 hrs of operation	<52	≥52 and<57	≥57 and<77	≥77 and<83	≥83
lumens per Watt at 3500 hrs of operation	<49	≥49 and<54	≥54 and<73	≥73 and<78	≥78

(ii) rated luminous efficacy in lumens per Watt (lm/W) at 0100 hours of operation, as specified in Table 2.

Table 2

(Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020)

Star level	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
	1star	2 star	3 star	4 star	5 star
lumens per Watt at 0100 hrs of operation	≥65and<75	≥75and <85	≥85and<95	≥ 95 and<110	≥110

IndiaCode

(4) The star level plan of tubular fluorescent lamp shall be reviewed every two years.

4. Testing and tolerance.-(1) For the purposes of determining the star level, the tubular fluorescent lamp shall be tested as per the following test standards, namely:-

Test Standard	Section of the Test Standard
IS 2418 (Part I)	All tests covered under the following sub-headings under heading 6 – tests 6.1 Classification of tests 6.2 Conditions of tests 6.5 Insulation resistance test 6.6 Burning test 6.7 Testing of starting characteristics 6.8Test for electrical luminous and colour characteristics 6.9 Life test

(2) The tolerance limits shall be applicable as per clauses 6.2.3 (lamp wattage), 6.2.5 (luminous flux and colour characteristics) and 6.9 (life test) of IS: 2418 (Part I).

(3) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested lamp shall meet the minimum threshold limit for each star rating level.

(4) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating based on the following points for rounding off-

(a) the value of power consumption (Watts), luminous flux (lumens), luminous efficacy (lm/W) shall be rounded off to nearest whole number up to one decimal places;

(b) the value shall be rounded off to respective significant figures, as per IS 2:1960, reaffirmed 2000.

(4) With effect from coming into force of revised star level from 1st July, 2018, every tubular fluorescent lamp at 2000 hours of operation and at 70percent. of declared life, including the ageing period of 0100 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in IS 2418 (Part II).

5. Test report. -The result of the test shall be reported in the specified format in the Annexure A.

Annexure A

[*See* paragraph 5]

Form for reporting the result of test

(Separate test report format shall be used for each type/models)

Test report No. **Date:**

1. Details of tubular fluorescent lamps:

(i) Brand:
(ii) Model name: (if applicable)
(iii) Rated Wattage (in Watts):
(iv) Size of the tubular fluorescent lamp (in mm):
(v) Cap Type:
(vi) Rated Colour Temperature (in kelvin):
(vii) Rated luminous flux (in lumens):
(viii) Rated luminous efficacy (in lumens/Watt):

2. Test summary:

(i) Name and address of manufacturer/ laboratory:
(ii) Date of receipt of sample of tubular fluorescent lamp:
(iii) Date of test:
(iv) Name of testing personnel:
(v) Nature of test and details of test conducted:
(vi) Nominal test condition:
(vii) Test standard:
(viii) Observation and test results:

(a) The lumen/Watt of the sampling lot at 0100 hours is as follows:

Sr. No.	Wattage	Lumens	lumens/Watt
1.			
2.			
.....			

IndiaCode

(b) The lumen/Watt of the sampling lot at 2000 hours is as follows:

Sr. No.	Wattage	Lumens	lumens/Watt
1.			
2.			
.....			

(c) (i) The lumen/Watt of the sampling lot at 3500 hours is as follows: (Valid till 30th June, 2018)

Sr. No.	Wattage	Lumens	lumens/Watt
1.			
2.			
.....			

(ii) The lumen/Watt of the samples tested at 70 percent. of the rated life is as follows:

(Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020)

Sr. No.	Wattage	Lumens	lumens/Watt
1.			
2.			
.....			

IndiaCode

(ix) Insulation resistance test:

(x) Burning test:

(xi) Starting characteristics test:

(xii) Test for luminous flux and colour characteristics:

(xiii) The summary for life test report:

[F. No. 13/15/2016-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 90] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

उर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

सं. बीईई/एस और एल/टीएफएल/63/2017-18.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फलोरेंस के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 का प्ररूप नियम विनियम ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कर दी गई थीं;

उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्तूबर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्ररूप विनियम के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (1) और उक्त धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ़) के साथ पठित उक्त धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरेसेंट के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता (टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इन विनियमों जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम " से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "ब्यूरों" से अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "लेबल" से टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लिखा गया, मुद्रित, चिन्हांकित, स्टाम्पित या उस पर चिपकाया गया या उपदर्शित चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है ;

(ङ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन द्युतिमान (ल्यूमिनस) दक्षता की विधिमान्य अवधि अभिप्रेत है ;

परंतु यदि यदि ल्यूमिनस अवधि की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति को अधिसूचित नहीं किया जाता है तो उसे तब तक विधिमान्य समझा जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके नए मूल्य अधिसूचित न कर दिए जाएं ।

(च) "माडल या माडलों के वर्ग" से किसी विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद या उत्पादों के श्रेणी अभिप्रेत है जिसके परीक्षण रिपोर्ट का एकल सेट लागू होता है और जहां उत्पादों में से प्रत्येक उत्पाद का मौलिक स्वरुप ल्यूमिनस दक्षता, स्टार रेटिंग स्तर और सम्पादन स्वरूप समान होता है ;

(छ) "अनुज्ञापित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है ;

(ज) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" से अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक पर आधारित टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है ;

(ञ) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लगाए किसी लेबल के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का विक्रय या वितरण करता है और इसके अन्तर्गत ऐसा दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और अनुज्ञापित व्यकित भी है जिसे ऐसा टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई है ;

(ट) "टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प" से अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई साधित्र अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं ।

3. लेबल पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां.- (1) प्रत्येक टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प में, उसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित होंगी, अर्थात् :-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो ;

(ख) विनिर्माता या आयातकर्ता या ब्रांड का नाम ;

(ग) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का आकार और रंग तापमान ;

(घ) व्यापार नाम और संख्या ;

(ड.) मॉडल और विनिर्माण या आयात का वर्ष ;

(च) विशिष्ट श्रेणी कोड ;

(छ) वाट में विद्युत शक्ति की खपत ;

(ज) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का स्टार लेवल;

(झ) 1 एम डब्लयू में ल्युमनस दक्षता ;

(ञ) लेबल अवधि ;

(2) लेबल का डिजायन, रंग, आकार और विशिष्टियां इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगी ।

4. **लेबल के संप्रदर्शन के लिए समयसीमा-** (1) प्रत्येक टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाले लेबल को, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर संप्रदर्शित किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के प्रारम्भ की तारीख से ही प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति या व्यापारी या विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) विक्रय के लिए रखे गए टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के बाहरी आवरण पर पुनरीक्षित स्टार लैंप पर पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों को समसमाहित करते हुए पुनरीक्षित स्तर लेबल और पुनरीक्षित लेबल अवधि संप्रदर्शित की जाएगी और ऐसे पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का विनिर्माण वर्ष भी समसमाहित हो और पूर्ववर्ती ऊर्जा खपत मानकों के साथ टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प तैयार नहीं किया जाएगा ।

(ख) इन विनियमों के अधीन व्यौहारियों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को जागरुक बनाने, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रचार सहित सभी प्रारम्भिक उपाय, प्रारंभ होने की तारीख से छह मास पहले किए जाएंगे ।

5. **लेबल के संप्रदर्शन की रीति.-** (1) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर एक लेबल लगा होगा जिसे विक्रय के स्थान पर लगाया जाएगा और ऐसे लेबल को निम्नलिखित रीति से टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर चिपकाया जाएगा, अर्थात् :-

(क) रंग योजना के साथ लेबल की फोटो 16 मिलीमीटर की उंचाई तक छोटा करके नली पर मुद्रित की जाएगी ;

(ख) प्रत्येक विनिर्माता और आयातकर्ता नली पर रंग का तापमान दर्शित करेगा ;

(ग) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर रेटिंग के अनुसार स्टार मार्किंग की जाएगी, स्टार मार्किंग के लिए स्टाम्प का आकार 14.5 मिलीमीटर ऊंचा x 8.5 मिलीमीटर चौड़ा होगा और एक पृथक स्तंभ में स्टाम्पित किया जाएगा ।

6. **लेबल के संप्रदर्शन के लिए अनुज्ञा**- (1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर कोई स्टार लेबल नहीं चिपकाया जाएगा ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापित व्यक्ति प्रत्येक ब्रांड के लिए स्वयं को एक लाख रुपए की लेबल प्रतिपूर्ति फीस के साथ, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या संदाय के किसी अन्य स्वीकार्य इलैक्ट्रानिक रीति में संदेय होगी, पृथक रुप से रजिस्ट्रीकृत करवाएगा:

परंतु लघु उद्योग के लिए लेबल प्रतिभूति फीस पच्चीस हजार रुपए होगी;

(3) उपविनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे

(क) प्रति माडल दो हजार रुपए आवेदन फीस, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या संदाय के किसी अन्य स्वीकार्य इलैक्ट्रानिक्स रीति द्वारा संदेय होगी ।

(ख) प्ररुप 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।

7. **अनुज्ञा का दिया जाना और नवीकरण** – (1) ब्यूरो, विनियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, ऐसे निबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किए जाएं, में टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर प्ररुप 2 में या इलैक्ट्रानिक प्ररुप में लेबल लगाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) ब्यूरो, प्ररुप 3 में अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम और विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार दी गई अनुज्ञा ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार लेबल प्रवृत्त है।

IndiaCode

(4) अनुज्ञापित व्यक्ति अनुज्ञा के नवीकरण के लिए छह पूर्व मास किंतु उसके समाप्त होने के पूर्व तीन मास के अपश्चात् आवेदन करेगा और उसके साथ एक हजार रुपए फीस संलग्न होगी जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में या इलैक्ट्रानिक रीति से संदेय होगी।

(5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं का पालन कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररुप 2 में अनुज्ञा का नवीकरण किया जाएगा।

(6) विधिमान्य अवधि की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण के लिए किया गया कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा और अनुज्ञापित व्यक्ति अनुज्ञा के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेगा।

(7) ऐसा अनुज्ञापित व्यक्ति, जो उस तारीख से जिससे पुनरीक्षित स्टार लेवल प्रवृत्त होते हैं, टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के विद्यमान माडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा जारी रखने की ईप्सा करता है, प्ररुप 4 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(8) पुनरीक्षित स्टार लेवल के समसमायिक टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का नया मॉडल प्रारम्भ करने की योजना है तो अनुज्ञापित व्यक्ति नए सिरे से लेबल लगाने की अनुज्ञा की ईप्सा करेगा और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन, पुनरीक्षित स्टार लेवल के प्रवृत्त होने के छह मास पूर्व किया जाएगा।

8. **लेबल पर विशिष्टियों के संप्रदर्शन के निबन्धन और शर्तें**.- प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति, व्यापारी और विक्रेता,-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लिए ऊर्जा खपत मानकों का पालन करेगा;

(ख) केवल ऐसे टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के माडल पर लेबल लगाया जाएगा जिन्हें अनुज्ञा दी गई है ;

(ग) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लेबल अनुज्ञापित व्यक्ति के खर्चे पर लगाया जाएगा;

(घ) यह सुनिशचित करेगा कि टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल को सभी समय पर बनाए रखा जाएगा ;

(ङ) विनियम 9 में यधा विनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;

(च) ब्यूरो को लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबल लगाने के लिए प्रोद्भूत फीस अंत्तर्विष्ट करके एक विवरण देगा ;

(छ) ब्यूरो को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक उसके लेबल लगे उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्राधिकृत वितरकों, व्यौहारी, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की अद्यतन सूची देगा;

(ज) ऐसे अन्य निबन्धनो और शर्तों का पालन करेगा जो विनर्दिष्ट किए जाए जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो मानक और लेबल लगाने संबंधी ब्यूरो प्रचालन मैनुअल में अंतर्विष्ट है ।

9. **लेबल फीस** .-(1) प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति, ब्यूरो को टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लगाए गए प्रत्येक लेबल के लिए पांच पैसा लेबल फीस का संदाय करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रुप से संदत्त की जाएगी ।

(3) यदि अनुज्ञाप्राप्त व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है तो ब्यूरो, विनियम 6 के उपविनियम (2) के खंड (ख) के अधीन दी गई लेबल सुरक्षा फीस से ऐसी शोध्य रकम को उस पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल कर सकेगा और यदि प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर संपूर्ण लेबल फीस की वसूली नहीं होती है तो ब्यूरो अनुज्ञापित व्यक्ति को दिया गया लेबल रद्द कर सकेगा और समाचारपत्रों में उसका नाम व्यतिक्रमी के रूप में प्रकाशित करवा सकेगा ।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय.- विनियम 9 के उप-विनियम (2) और उपविनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञापित व्यक्ति टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का विनिर्माण समाप्त हेने पर लेबल सुरक्षा फीस के प्रतिदाय का हकदार होगा ।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन.-(1) ब्यूरो या उसका अभिहित अभिकरण स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकेगा कि टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प उसके लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल के और अन्य विशिष्टियों के अनुरुप है या नहीं और उसमें अनुज्ञा के अन्य निबन्धों और शर्तों का पालन किया गया है या नहीं ।

(2) सत्यापन के प्रयोजनों के लिए ब्यूरो या उसका अभिहित अभिकरण विनिर्माण सुविधा केन्द्र, भाडागार या खुदरा बाजार से जैसा वह ठीक समझे, यादृष्छिक रुप में नमूने ले सकेगा,

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो, टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक् रुप से प्रत्यायित किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में और अंशाकन प्रयोगशालाओं में चुनौती पूर्ण परीक्षा की अपेक्षा करता है वहां.-

(क) ब्यूरो अनुज्ञापित व्यक्ति को ऐसी परीक्षा कराए जाने के लिए सूचना देगा और शिकायतकर्ता को, ऐसे समय के भीतर, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित किया जाए, ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन से संबंधित ऐसे व्यय अन्य अनुषंगिक व्यय जमा करने को कहा जाएगा;

(ख) यदि चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के अधीन लिए गए नमूने असफल हो जातें हैं तो अनुज्ञाप्राप्त व्यक्ति नमूने के परिवहन की लागत और अन्य परीक्षण प्रभारों के मद्दे सभी व्ययों की ब्यूरो को प्रतिपूर्ति करेगा और ब्यूरो पूर्वोक्त रकम शिकायतकर्ता को पूर्वोक्त व्ययों का प्रतिदाय करेगा ; और

(ग) जहां उपस्करों की चुनौतीपूर्ण परीक्षा की गई है वहां शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए व्ययों का समपहरण हो जाएगा ।

(4) जहां, उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त किसी शिकायत पर, यदि अनुज्ञापित व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर उपविनियम (3) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय जमा करने में असफल रहता है तो ब्यूरो उप विनियम (3) में निर्दिष्ट टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प की चुनौतीपूर्ण परीक्षा द्वारा सत्यापन जारी रखेगा और विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन के प्रगमन में, ऐसे व्यय जमा किए जाने तक प्रास्थगन रखेगा।

(5) परीक्षा के लिए उपयोग किया गया टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का नमूना स्वप्रेरणा से परीक्षा के दौरान की गई परीक्षा या चुनौतीपूर्ण परीक्षा में असफल हो जाता है वहां ब्यूरो अनुज्ञापित व्यक्ति को एक और अवसर प्रदान करेगा और ब्यूरो अनुज्ञापित व्यक्ति की लागत पर परीक्षा और अशांकन के लिए राष्ट्रीय प्रत्याययन बोर्ड द्वारा सम्यक् रुप से प्रत्यायित किसी स्वतंत्र परीक्षा प्रयोगशाला में टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के पहले परीक्षण नमूनों की दुगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण करवाएगा।

(6) जहां दूसरी परीक्षा असफल हो जाती है वहां ब्यूरो –

(क) प्ररूप 5 में अनुज्ञापित व्यक्ति को, सभी राज्य अभिहीत अभिकरणों को सूचना के अधीन यह निदेश देगा कि अनुज्ञापित व्यक्ति, दो मास की अवधि के भीतर,-

(i) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के ऊपर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल को सही करे या परीक्षा के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करे;

(ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से पूरा स्टाक वापस ले ; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करे;

(ख) किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचरपत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक साधनों में या किसी अन्य रीति में, जो वह ठीक समझे, दो मास के भीतर अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम, ब्रांड का नाम, माडल का नाम या माडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा;

(ग) राज्य अभिहित अभिकरण को अनुज्ञापित व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 27 के अधीन की गई कार्यवाहियों का न्यायनिर्णयन आरम्भ करने के लिए सूचित करेगा।

(7) अनुज्ञापित व्यक्ति, उपविनियम (6) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि पूरी होने के दस दिन के भीतर,

(क) ब्यूरो को, निदेशो के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररुप -6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा, और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है या

विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निदेश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, तो उसे जारी निदेशों का अनुपालन समझा जाएगा और ब्यूरो द्वारा उस प्रभाव का आदेश पारित किया जाएगा।

(8) ब्यूरो, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप विनियम (7) के खंड (ख) में पारित आदेश की प्रति धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उपविनियम (7) के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए सभी अभिहित राज्य अभिकरणों को भेजेगा।

(9) जहां अनुज्ञापित व्यक्ति, उपविनियम (6) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है वहां ब्यूरो सभी अभिहित राज्य अभिकरणों के सूचना के अधीन-

(क) विनियम 7 के उपविनियम (1) के अधीन अनुज्ञापित व्यक्ति को दी गई अनुमति वापस लेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा असफलता के समर्थन में परीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 12 के खंड (ग) के अधीन विचारण और कार्रवाई करने हेतु उपविनियम (7) के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो के निदेशों को संलग्न करके रिपोर्ट भेजेगा;

(ग) दो मास के भीतर किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक समाचार पत्र में और इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम, ब्रांड का नाम, माडल का नाम या माडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अज्ञापित व्यक्ति और कारबार के विरुद्ध अतिरिक्त न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां आरम्भ करने के लिए संबंधित अभिहित राज्य प्राधिकारी को सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा का रद्द किया जाना- ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन दी गई अनुज्ञा रद्द कर सकेगा यदि अज्ञापित व्यक्ति-

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों में से किन्ही का पालन करने में असफल रहता है ;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है।

अनुसूची

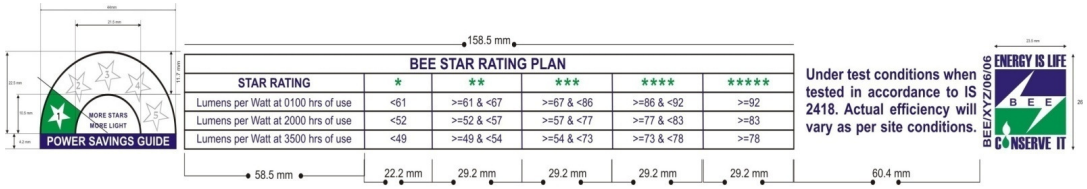
[विनियम 3(2) देखें]

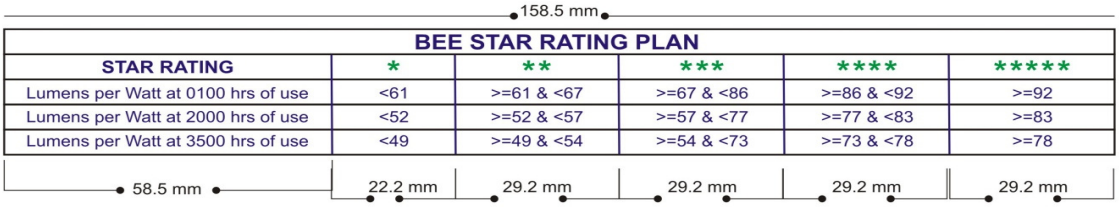
टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टयां

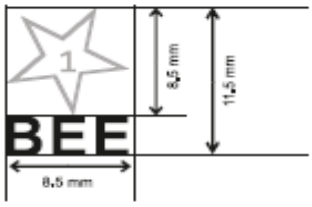
(1) लेबल परिकल्पना, आकार, रंग स्कीम और लेबल को अन्तर्वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(i) लेबल की निम्नलिखित विमीय परिकल्पना, अर्थात्:-

(क) 30 जून, 2018 तक विधिमान्य

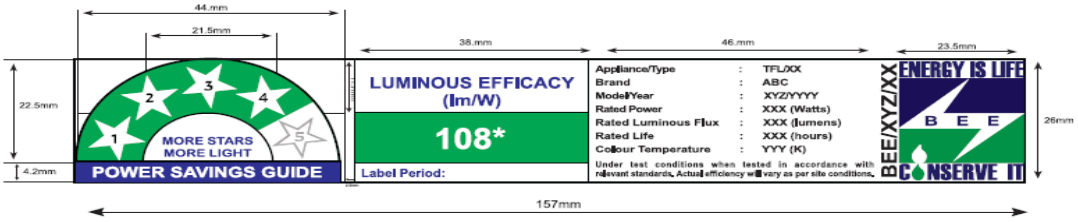






(ख) 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक विधिमान्य

(i) बाहरी आवरण/नली पर नियत किए जाने वाले लेबल की विमा



टिप्पण : लेबल की विमा बाहरी अंतरण के आकार के अनुसार अपेक्षाकृत कम की जा सकेगी, परन्तु लेबल का आकार अनुपात समान रहेगा ।

(ii) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर स्टांपित किए जाने वाले लेबल की विमा



टिप्पण : लेबल की विमा टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के व्यास के अनुसार अपेक्षाकृत कम की जा सकेगी, परन्तु लेबल का आकार अनुपात समान रहेगा

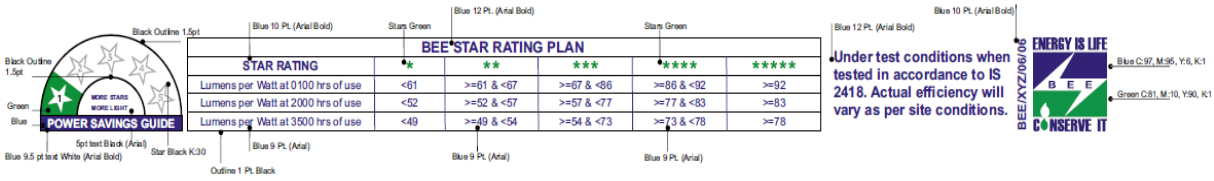
(i) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम होगी, अर्थात् :-

गहरा नीला – ग: 97, ड: 95, म: 6, ट: 1

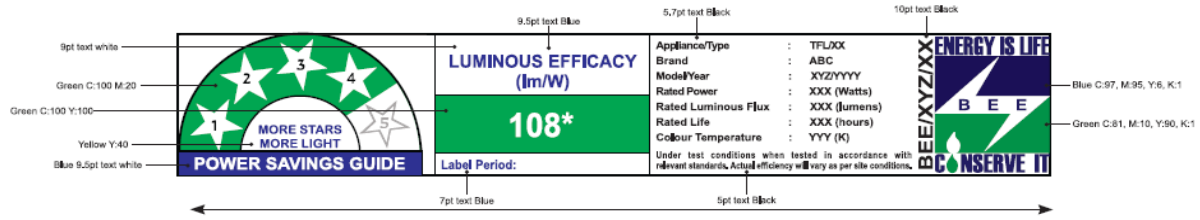
हरा – ग: 81, ड: 10, म: 90, ट: 1

टिप्पण : ब्यूरो लोगो का निचला भाग और स्टार फीलर केवल **हरे** रंग का होगा और ब्यूरो लोगो के सभी फोंट और ऊपरी हिस्सा गहरे **नीले** रंग का होगा

(क) 30 जून, 2018 तक विधिमान्य



(ख) 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक विधिमान्य



(ii) ब्यूरो लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्:-

नीला – ह्यू (एच)-239 स्टारेशन(एस):64% चमक(बी):59%

संदीप्ति या लाइटनेस(एल):28, क्रोमोटिक घटक-ए:24 बी:54

लाल (आर):54 हरा(जी):55 नीला(बी):151

सायन (सी):97% मेजेन्डा (एम):95% पीला(वाई):6% काला(के):1%

वेब रंग कोड – #363797

हरा -

ह्यू (एच)-150 स्टाउरेशन(एस):10% चमक(बी):67%

संदीप्ति या लाइटनेस(एल):61, क्रोमोटिक घटक-ए:53 बी:32

लाल (आर):0 हरा(जी):170 नीला(बी):87

सायन(सी):81% मेजेन्टा(एम):10% पीला(वाई):90% काला(के):1%

वेब रंग कोड – #00एए56;

(2) **लेबल सामग्री**

लेबल स्वयं चिपकने वाला और टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर मुद्रित होगा तथा लेबल के लिए विमा परिकल्पना स्कीम में दर्शित आऊट लाइनों में काटा जाएगा ।

प्ररूप 1

[नियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फलोरेंस लैंपों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 ऊर्जा दक्षता लेबर के अधीन टुबुलर फलोरेंस लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर. के पुरम,

नई दिल्ली – 110066

भारत

1. मैं/हम टुबुलर फलोरेंस लैम्प के विनिर्माता.....(कारबार का पूरा पता) पर.....(व्यष्ठि या फर्म का पूरा नाम) की अभिकल्पना के अधीन कारबार करते हैं, इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट टुबुलर फलोरेंस लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं ।
2. विनिर्माण सुविधा : उक्त उपस्कर.....(कम्पनी का नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित किए जाते हैं और.....(कारखाने का नाम और पता) पर विनिर्मित किए जाते हैं ।
3. सूचना के ब्यौरे : उपस्कर, कम्पनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण के प्रमाणीकरण, उत्पाद, लेबल और इन विनियमों से संलग्न उपाबंध में दिए गए संदाय की बाबत सूचना के ब्यौरे । फर्म या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग के निदेशक द्वारा जारी निगम प्रमाणपत्र या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज, जो फर्म के नाम और उसके विनिर्माण परिसर को अधिप्रमाणित करते हैं कि फोटो प्रति संलग्न है ।

IndiaCode

(क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति :(नाम और पदाभिमान) कम्पनी/फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है और इस आवेदन में दी गई सूचना के सही होने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) सम्पर्क व्यक्ति :(नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए प्राधिकृत सम्पर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम (क) और (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को ब्यूरो को सूचित करने का वचनबंध करते हैं।

(4) मानकों की अनुरूपता : मैं/हम.....(उपस्कर का नाम) के लिए.....(अधिसूचना का शीर्ष) पर अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट.....(मानक का नाम और संख्या) आई एस/अन्य के अनुसरण में क्वालिटी प्रणाली/अन्य मानकों की बाबत भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखेंगे।

उपरोक्त उपस्कर की बाबत अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है।

मैं/हम ने हमारी इन हाउस प्रयोगशाला.....या प्रयोगशाला में परीक्षण की व्यवस्था की है जो परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अंशाकन प्रयोगशालाओं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यायन सहकार या एशिया पैसेफिक प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकार या उपस्कर की क्वालिटी में संगतता साथ ही साथ एस ओ में विनिर्दिष्ट सुसंगत भारतीय मानक/अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग मानक के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए समतुल्य निकायों द्वारा प्रत्यायित है

प्रयोगशाला के ब्यौरे :

(क) प्रत्यायन बोर्ड ;

(ख) प्रत्यायन प्रास्थिति ;

(i) प्रयोगशाला के लिए ; (हां/नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए : (सुसंगत उत्पाद मानक का नाम/संख्या विनिर्दिष्ट करे)

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

(5) उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय संख्या और मेरे/हमारे ज्ञान में मूल्य और प्राक्कलन निम्नानुसार है :

वर्ष	**उत्पाद**	**विक्रय**	**उपस्कर की एमआरपी (रु.)**
अन्तिम वर्ष से तक चालू वर्ष से तक (प्राक्कलन)			

6. (क) मांग ड्राफ्ट सं.....तारीख...../इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दो हजार रुपये आवेदन फीस संदत्त की गई है।

(ख) मांग ड्राफ्ट सं.....तारीख...../इलेक्ट्रॉनिक ढंग से एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये लेबल सुरक्षा फीस संदत्त की गई है (केवल लेबल सुरक्षा फीस देने के समय भरा जाएगा)

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पांच पैसा लेबलिंग फीस अदा करने के लिए सहमत है।

IndiaCode

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत सहमत है और उसके द्वारा की जानी वाली किसी जांच की दशा में ब्यूरो को आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत है।

8. मैं/हम सत्यापन और चैलेंज परीक्षण के लिए नमूनों के चयन हेतु ब्यूरो को प्राधिकृत करते हैं और इस सम्बन्ध में ब्यूरों के निदेशों का पालन करने को सहमत हैं।

9. मैं/हम वचनबंध करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और यदि दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो आवेदन तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

तारीख.....मास.....(वर्ष)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

(फर्म का नाम) के लिए और की ओर से

फर्म की मुद्रा

IndiaCode

उपाबंध

[प्ररूप 1 का पैरा 3 देखें]

उत्पाद/उपकरण का ब्यौरा

1.1 साधारण :-

विनिर्माता और ब्रांड का नाम	
मिलीमीटर में ट्यूबलर फ्लोरेसेंट का आकार	
ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप का रंग तापमान	
ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप के व्यापार का नाम	
विनिर्माण का मॉडल और वर्ष	
रजिस्ट्रीकरण की संख्या और व्यापार चिन्ह की तारीख	
वाट्स में ट्यूबलर फ्लोरेसेंट लैंप की रेटिंग	
आईएसआई प्रमाण-पत्र के ब्यौरे (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
क्वालिटी प्रणाली प्रमाण-पत्र के ब्यौरे (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
ल्युमिनस दक्षता (ल्यूमन/वाट में)	

1.2 तकनीकी के ब्यौरे

क्रम सं.	माडल का नाम/ संख्या	परिमित मूल्यवान				घोषित मूल्यवान				टिप्पणियां
		विद्युत दक्षता वाट्स	ल्युमिनस अभिवाद (ल्युमिनस)	ल्युमिनस दक्षता (ल्यूमन/वाट)	स्टार लेवल या दक्षता स्तर	विद्युत दक्षता वाट्स	ल्युमिनस अभिवाद (ल्युमिनस)	ल्युमिनस दक्षता (ल्यूमन/वाट)	स्टार लेवल या दक्षता स्तर	

2. कंपनी के ब्यौरे :

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
प्रतिभूति फीस के लेबल के समय पर अनुज्ञाप्राप्त व्यक्ति द्वारा पेश किए जाने वाले दस्तावेज : (1) व्याख्या पत्र (2) अधिनाम के अधिप्रमाणित वाला दस्तावेज और विनिर्माण या कारबार परिसरों का नाम और पता (3) व्यापार चिन्ह प्रमाण-पत्र (4) आईएसआई प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो (5) क्वालिटी प्रबंध प्रणाली प्रमाण-पत्र (6) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पत्र (7) बी.आई.एस. अनुज्ञप्ति; यदि लागू हो (8) डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति निक्षेप/ यदि ऑनलाइन से किया गया है, संदाय की प्राप्ति	

IndiaCode

3. विनिर्माण परिसरों के ब्यौरे :

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नम्बर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अन्य ब्यौर (यदि कोई हो)	

4. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे :

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रास्थिति (प्रत्यायन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
सुसंगत मानक की प्रत्यायन प्रास्थिति (प्रत्यायन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेब-साईट	

IndiaCode

5. लेबलिंग सूचना :

प्रारंभ की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदित किए गए लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पादन क्रम संख्या	 से तक

6. संदाय के ब्यौरे :

	कुल रकम	संदाय के ब्यौरे (मांग ड्राफ्ट के ब्यौरे/इलैक्ट्रॉनिक संदाय के ब्यौरे)
आवेदन फीस		
प्रतिभूति फीस		

तारीख:

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

(फर्म का नाम)

के लिए और की ओर से

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 2

[विनियम 7(1) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फलोरेंस लैंपों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 के अधीन टुबुलर फलोरेंस लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....

.....

.....

1. विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरों, इस पत्र के उपाबंध में प्रदर्शित अनुमोदन के ब्यौरे के अनुसार स्टांपित करने और मुद्रण अथवा लेबल चिपकाने की अनुज्ञा देता है ।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए होगी –

(क) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लेबल पर दर्शित स्टार लेबल और इन विनियमों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों;

(ख) लेबल केवल ऐसे टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों, जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है, पर ही स्टांपित होगा;

(ग) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प, अनुज्ञाधारक की लागत पर ही मुद्रित या चिपकाया जाएगा;

(घ) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों पर दर्शित स्टार लेबल का अनुज्ञाधारक द्वारा हर समय रख-रखाव किया जाएगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक द्वारा पांच पैसा प्रति लेबल के हिसाब से लेबल फीस का संदाय;

(च) (i) अनुज्ञाधारक द्वारा लेबलित उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला कथन ब्यूरों को प्रस्तुत करना और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही को समाप्ति के आगामी माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए बकाया उपार्जित लेबलिंग फीस प्रस्तुत करना;

(ii) आटोमेटेड प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को प्रस्तुत समान ब्यौरे;

(छ) टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसे और जब ब्यूरो द्वारा, चाहे जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, अनुज्ञाधारक उपलब्ध कराएगा।

IndiaCode

3. यह अनुज्ञा.....से.....तक विधिमान्य होगी और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में नवीकृत की जा सकेगी।

4. अनुज्ञाधारक, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प वापस नहीं ले सकेगा।

5. ब्यूरो द्वारा उपस्कर के लिए समनुदेशित यूनिक लेबल सीरीज कोड़..... है और अनुमोदित परिकल्पना के अनुसार लेबल पर होना चाहिए।

6. जहां पुनरीक्षण पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्टार लेबल प्लान उपांतरित किया जाता है,टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का स्टार लेबल निम्नलिखित विकल्पों के अधीन उपांतरित माना जाएगा, अर्थात् :-

(क) यदि पुनरीक्षित स्टार लेबल के साथ समकालिक मॉडल लांच किया जाता है ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन ब्यूरो को उस तारीख, जिससे नया स्टार लेबल प्रवृत्तन में आता है, छह मास के भीतर किया जाएगा।

(ख) जहां विद्यमान मॉडल उपांतरित स्टार स्तर को प्रभाव देने के लिए जारी है, ब्यूरो को केवल प्ररूप 4 में घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

7.तारीख.....मास.....वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया, मुद्रा लगायी गई।

आपका आज्ञाकारी,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

IndiaCode

उपाबंध

(प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें)

अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

ट्यूबलर फलोरेसेंट लैम्प का आकार मिलीमीटर में	
ट्यूबलर फलोरेसेंट लैम्प का रंग तापमान	
विनिर्माण का वर्ष	
ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख	
ट्यूबलर फलोरेसेंट लैम्प की रेटिंग वॉट में	

क्र. सं.	मॉडल का नाम/ संख्या	मापा गया मान				घोषित मान				
		शक्ति (वाट)	ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमिनस)	ल्यूमिनस दक्षता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर	शक्ति (वाट)	ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमिनस)	ल्यूमिनस दक्षता (एलएम/ डब्ल्यू)	स्टार स्तर	टिप्पणियां

2. लेबल ब्यौरे :

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्मात/आयातक/ब्रांड का नाम	

माडल नाम/ संख्या	
स्टार स्तर	
ट्युबलर फ्लोरेसेंट लैंप का आकार	
विनिर्माण का वर्ष	
ल्युमिनस दक्षता (एलएम/डब्लयू)	

3. ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना बाहरी आवरण/स्लीव पर चिपकाया जाएगा और ट्युबलर फ्लोरेसेंट लैंप निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है :

(1) बाहरी आवरण/स्लीव

(क) 30 जून, 2018 तक विधिमान्य

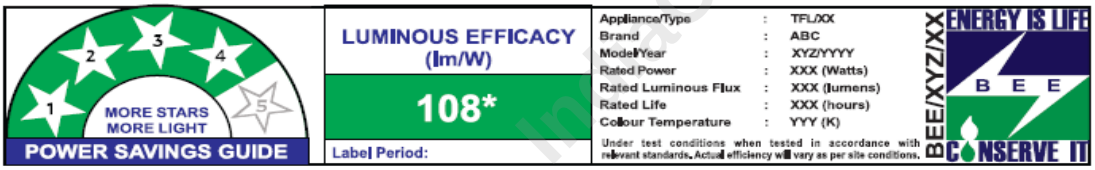


BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	*	**	***	****	*****
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 & <67	>=67 & <86	>=86 & <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 & <57	>=57 & <77	>=77 & <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 & <54	>=54 & <73	>=73 & <78	>=78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



(ख) 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक विधिमान्य



पत्र में उपबंधित यूनिक लेबल कोड, ट्युबलर फ्लोरेसेंट लैंप के बाहरी आवरण/स्लीव पर चिपकाए गए लेबल पर उल्लिखित करना पड़ेगा ।

(2) ट्युबलर फ्लोरेसेंट लैंप



4. लेबल के लिए उपयोग के लिए लेबल परिकल्पना, आकार, रंग स्कीम, सामग्री और लेबल की अंतर्वस्तु और ब्यूरो लोगो की रंग, स्कीम, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

तारीख :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

(फर्म का नाम)

के लिए और की ओर से

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 3

[विनियम 7(2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखा जाने वाला अनुज्ञाधारक का रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदन संख्या और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञाधारक का नाम और ब्यौरा (सम्पर्क व्यक्ति, पता, पिनकोड, राज्य, फोन नं, फैक्स नं, ई-मेल वेबसाइट)	उपस्कर, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है, के ब्यौरे	घोषित स्टार लेबल या दक्षता लेबल	ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल सीरीज	अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा फीस की रकम	क्रॉस मांगदेय ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक्स संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख) द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा फीस	आवेदन फीस की प्राप्त रकम	क्रॉस मांगदेय ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक्स संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख) द्वारा प्राप्त आवेदन फीस के ब्यौरे
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चिपकाये गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्यूरो को देय लेबलिंग फीस की रकम	क्रॉस मांगदेय ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक्स संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस के ब्यौरे	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7(7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा जारी रखना चाहने की अनुज्ञाधारक द्वारा घोषणा

(प्रत्येक मॉडल के लिए, उपाबंध के साथ एक पृथक पत्र प्रस्तुत करना होगा)

(कॉरपोरेट निकाय/अनुज्ञाधारक के शीर्ष नामे पर)

तारीख :

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

IndiaCode

(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, आर. के पुरम,

नई दिल्ली – 110066

भारत।

विषय :से प्रभावी स्टार स्तर पुनरीक्षण पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 द्वारा लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

1. मैं/हम टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के विनिर्माता/आयातक अभिनाम (व्यष्ठि या फर्म का पूरा नाम) के अधीन [कम्पनी के पूरे पते के साथ नाम] पर कारबार करते हैं ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्टटुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं जो से स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अधीन होगा।
2. उपरोक्त उपस्कर [व्यष्ठि या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयात किया जाता है और [कारखाने का नाम और पता] पर विनिर्मित किया जाता है या [आयातकर्ता का नाम और पता] से आयात किया जाता है।
3. नये स्टार लेबल का अनुपालन : मैं/हम टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लिए अधिसूचना संख्यांक का.आ.....तारीख.....में यथा विनिर्दिष्ट.....सारणी के अनुसार सारणी परिवर्तन का अनुपालन करते हैं। उपरोक्त उपस्कर (जो पूर्व में अनुमोदित किया गया था) की बाबत ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाती है।
4. टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प की बाबत ब्यूरो लेबल (स्टार लेबल परिवर्तन के अनुसार पुनरीक्षित) की प्रति संलग्न है।
5. पुनरीक्षित स्टार लेबल के अनुसार उपस्कर/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम -

विशिष्टियां	**घोषित मूल्य**	
शक्ति (वाट)		
ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमिनस)		
ल्यूमिनस दक्षता (एलएम/डब्ल्यू)		
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसार)

6. मैं/हम हस्तचालित आवेदन और ऑनलाइन पोर्टल पर [विद्यमान स्टार लेबल लेवल] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल लेवल], स्टार स्तर परिवर्तन करने के लिए सहमत हैं।
7. मैं टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लिए आज तारीख तक त्रैमासिक उत्पादन डाटा और लेबलिंग फीस प्रस्तुत कर चुका हूं।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है और उसके द्वारा की जानी वाली किसी जांच की दशा में ब्यूरो की आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत है।
9. मैं/हम सत्यापन और चैलेंज परीक्षण के लिए नमूनों के चयन हेतु ब्यूरो को प्राधिकृत करते हैं और इस सम्बन्ध में ब्यूरों के निदेशों का पालन करने को सहमत हैं।
10. मैं/हम जिम्मा लेते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और यदि दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो आवेदन तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

तारीख.....मास.....(वर्ष)

IndiaCode

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

(फर्म का नाम)

के लिए और की ओर से

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 5

[विनियम 11(6) देखें]

दूसरे चैक परीक्षण के विफल हो जाने पर अनुज्ञाधारक को निर्देश

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो **(टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति)** विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको ब्यूरो के पत्र सं.....तारीख.....के द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा प्रदान की थी।

2. ब्यूरो में इन विनियमों के विनियम.....के अधीन बीजक संख्यांक.....तारीख.....द्वारा.....रूपये मूल्य में आपके प्राधिकृत वितरक, डीलर, फुटकर विक्रेता से स्टार लेबल टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प खरीदा था और आपके द्वारा उपरोक्त खरीदे गए टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर चिपकाये गए लेबल पर विनियम 3 के अधीन प्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त अभिकरण मैसर्स.....द्वारा तारीख.....को एक नमूने के रूप में उठाया गया। मैसर्स.....द्वारा सम्यक रूप से सीलबद्ध नमूना, जिसका क्रम संख्यांक.....है, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन मैसर्स.....(वितरक, डीलर, फुटकर विक्रेता) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो उसके उपरोक्त सत्यापन अधिकरण के माध्यम से उपाबद्ध का.आ. संख्यांक.....तारीख.....में दिए गए प्ररूप.....के अनुसरण में.....परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए का.आ. संख्यांक.....तारीख.....के पैरा 4 और पैरा 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसरण में मैसर्स.....राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को परीक्षण के लिए और अंशाकन प्रयोगशाला, प्रत्यायन प्रयोगशाला को परीक्षण संचालित करने के लिए पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने भेजे थे।

4. नमूना वहन करने वाले यूनिक पहचान क्रम संख्या पर रिपोर्ट के परीक्षण का परिणाम संलग्न है। परीक्षण रिपोर्ट का परिणाम उपदर्शित करता है कि टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प का नमूना उर्जा खपत मानक, लूमनस, इत्यादि को पूरा करने में विफल रहा है और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा चाहने के आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ उपाबंध प्ररूप 1 में आपके द्वारा दिए गए परीक्षण ब्यौरे के अनुपालन में नहीं थे। परीक्षण के परिणाम आपके द्वारा प्राधिकृत सम्पर्क व्यक्ति के नाम ब्यूरो के पत्र क्रमांक.....तारीख.....द्वारा आपको भेजे गए थे । आपको परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तथा अंशाकन प्रयोगशालाओं, प्रत्यायन प्रयोगशाला मैसर्स.....के समक्ष नमूना परीक्षण के इसके चैक सत्यापन में उपस्थित होने तथा साक्षी बनने की उपेक्षा की जाती है।

5. दूसरे चैक सत्यापन के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स.....के माध्यम से तारीख.....को लिया गया था और मैसर्स द्वारा सम्यक रूप से सीलबद्ध करके हमारे प्राधिकृत अभिकरण द्वारा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अंशाकंन प्रयोगशालाएं, प्रत्यायन प्रयोगशाला को भेजा गया था और सत्यापन

अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि ही साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के अधीन.....से प्राप्त किए गए नमूने पर उत्कीर्ण यूनिक पहचान क्रम संख्या दी गई थी।

6. दूसरे चैक परीक्षण परिणाम संलग्न हैं जो परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रयोगशाला और अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन प्रयोगशाला के सक्षण प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक रूप से जांचा गया और प्रति हस्ताक्षरित है । परीक्षण रिपोर्ट हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दूसरे चैक परीक्षण के साक्षी के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है। परीक्षण परिणाम यह पुष्टि करता है के वे का.आ. संख्यांक.....तारीख.....के अपेक्षित प्राचलों और मानदंडों तथा टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के विनिर्माण/आयात और बाजार में विक्रय करने में उस पर चिपकाये गए लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा की निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

7. ब्यूरो आपको यह निदेश देता है कि टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करे या परीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटि और कमियों को दूर करे; ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सम्पूर्ण स्टाक वापस ले लें, विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करें।

8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण करने का और.....तक दो मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया जाता है। उक्त तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की दशा में ब्यूरो इन विनियमों के अधीन कार्यवाही करेगा।

9. ब्यूरो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में और अनुवर्ती कार्यवाही करेगा ।

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्न:

(1) विकल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट

(2) विनिर्माता के साथ पत्र संव्यवहार

IndiaCode

प्ररूप 6

[नियम 11(7(क)) देखें]

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

(संगठन के शीर्षनामे पर दिया जाना चाहिए)

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर. के पुरम,

नई दिल्ली – 110066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में मैसर्स.....टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प के विनिर्माता को मॉडल संख्या.....के लिए.....ब्यूरो के पत्र क्रमांक.....तारीख.....द्वारा स्टार स्तर.....के ऊर्जा खपत मानक के अनुपालन में टुबुलर फ्लोरेंस लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी ।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 के विनियम के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसरण में हमें ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों के प्रकाश में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए ब्यूरो के पत्र संख्यांक.....तारीख.....द्वारा निदेश जारी किए गए थे, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्यवाही की गई है ।

	निदेशित कार्य	प्रास्थिति	की गई कार्यवाही
i.	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में टुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबलों पर प्रदर्शित स्टार लेवल को सही करना	हां/नहीं/लागू नहीं होगा	(तारीख) से स्टार..... से स्टार..... तक स्टार स्तर सही किया गया है।
ii.	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टाक वापस लेना	हां/नहीं/लागू नहीं होगा	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टाक वापस ले लिए गए हैं।
iii.	विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन	हां/नहीं/लागू नहीं होगा	हां/नहीं/लागू नहीं होगा

उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कम्पनी/फर्म का नाम के लिए और की ओर से

फर्म की मुद्रा कम्पनी/फर्म की मुद्रा

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./464/17]

IndiaCode

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

No. BEE/S&L/TFL/63/2017-18.— Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017, were published vide notification number BEE/S&L/TFL/63/2017-18, dated the 5th October, 2017, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the period of forty-five days from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 5th October, 2017;

And whereas no objections or suggestions were received from public with respect to the said draft regulations within the aforesaid period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the said Act and in supersession of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

(c) "Form" means forms appended to these regulations;

(d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the tubular fluorescent lamp;

(e) "label period" means the validity period of the luminous efficacy under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, the validity period of the luminous efficacy is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government.

(f) "models or family of models" means the product or range of products of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the products have the same physical characteristics, luminous efficacy, star rating level and performance characteristics;

(g) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(h) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(i) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the tubular fluorescent lamp based on energy consumption standard notified by the Central Government under the Act;

(j) "trader or seller" in relation to any labelled tubular fluorescent lamp means a person who sells or distributes such tubular fluorescent lamp and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such tubular fluorescent lamp;

(k) "tubular fluorescent lamps" means an appliance notified by the Central Government under the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label. -(1) On every tubular fluorescent lamp, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;

(b) name of manufacturer or importer and brand;

(c) size of tubular fluorescent lamp and colour temperature;

(d) trade name and number;

(e) model and year of manufacturing or import;

(f) unique series code;

(g) power consumption in Watts ;

(h) star level of the tubular fluorescent lamp;

(i) luminous efficacy in lm/W;

(j) label period;

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every tubular fluorescent lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government, every permittee or trader or seller shall ensure that-

(a) outer casing of the tubular fluorescent lamp put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the tubular fluorescent lamp shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the tubular fluorescent lamp with previous energy consumption standards;

(b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers and consumers, publicity for their education shall be well planned six months in advance from the date of commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.- (1)There shall be a label on every tubular fluorescent lamp which shall display at the point of sale and such label shall be affixed on the tubular fluorescent lamp in the following manner, namely:-

(a) the label with colour programme after photographic reduction to 16 millimetre height shall be printed on the sleeve;

(b) every manufacturer and importer shall mark the colour temperature on the sleeve;

(c) the star marking as per the rating shall be stamped on the tubular fluorescent lamp, the size of the stamp for the star marking shall be 14.5 millimetre height x 8.5 millimetre width and the same shall be stamped in a separate column.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a tubular fluorescent lamp except with the prior permission of the Bureau.

(2) For the purposes of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), permittee shall make application as per Form I to register himself for every brand separately, accompanied by a label security fee of rupees one lakh, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment:

Provided that the label security fee for small scale industry shall be twenty-five thousand rupees;

(3) Every application for registration under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment;

(b) documents specified in Form I.

7. Grant of permission and renewal. - (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may within a period of one month from the date of such receipt grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on tubular fluorescent lamp in Form II or in electronic form.

(2) The Bureau shall enter the name and particulars of the permittee in Form III.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government is in force.

(4) The permittee shall apply for renewal of permission before six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or acceptable electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

(5) On receipt of the application for renewal under sub-regulation (4) the Bureau may, after being satisfied that all requirements are complied with, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(6) An application for renewal made after the expiry of validity period shall be rejected and the permittee may make a fresh application for permission.

(7) The permittee who seeks permission to continue to affix label on the existing model of the tubular fluorescent lamp from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of tubular fluorescent lamp is planned to be launched to synchronize with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall,-

(a) comply with the energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified by the Central Government;

(b) affix label only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;

(c) affix label on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;

(d) ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;

(e) pay the label fee as specified in regulation 9;

(f) furnish to the Bureau a Statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;

(g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;

(h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standard and Labelling.

9. Label Fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paisa for each label affixed on the tubular fluorescent lamp;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year;

(3) If a permittee fails to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under sub-regulation (2) of regulation 6 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, Bureau may cancel the labels granted to the permittee and publish his name in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of Label Security Fee. - Subject to the provisions to sub-regulations (2) and (3) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture tubular fluorescent lamp.

11. Verification by the Bureau. - (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu* or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the tubular fluorescent lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purposes of verification, the Bureau or its designated agency may pick up samples at random from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the tubular fluorescent lamp in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories and follow the below procedure, namely:-

(a) the Bureau shall issue a notice to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time as may be determined by the Bureau;

(b) if the sample drawn under challenge testing fails, the permittee shall reimburse all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and

(c) where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expenses referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall continue the verification by challenge testing the tubular fluorescent lamp referred to in sub-regulation (3) and the processing of application received under regulation 6 be kept in abeyance till such expenses are deposited.

(5) Where samples of tubular fluorescent lamp used for testing fails, either in the *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall afford the permittee another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of tubular fluorescent lamp used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories at the cost of the permittee.

(6) Where the second test fails, the Bureau shall-

(a) direct the permitte in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label affixed on the outer casing of the tubular fluorescent lamp or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications for public infomation;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to take up the matter with the State Commission to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(7) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6) ,-

(a) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the directions within the specified period, it shall be deemed to be non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

IndiaCode

(8) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) of sub-regulation (7) and order passed in clause (b) of sub-regulation (7) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of sub-regulation (7).

(9) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (6), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies shall-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standard notified by the Central Government, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (7) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications for public information;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to take up the matter with the State Commission to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee—

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) fails to comply with the directions issued under regulation 11.

Schedule

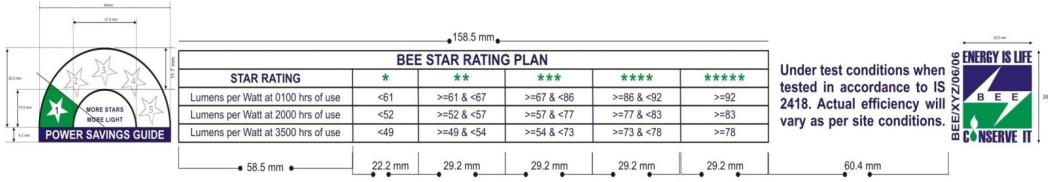
[*See* regulation 3(2)]

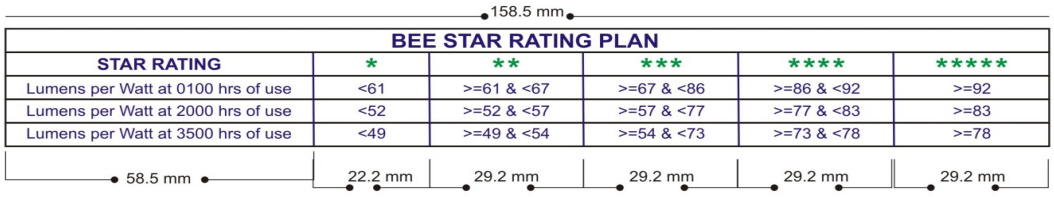
Particulars to be displayed on label of Tubular Fluorescent Lamp

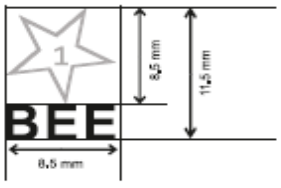
(1) **Label design, size, colour scheme and content of the label shall include-**

(i) the following dimensional design of label, namely:-

(a) Valid till 30th June, 2018

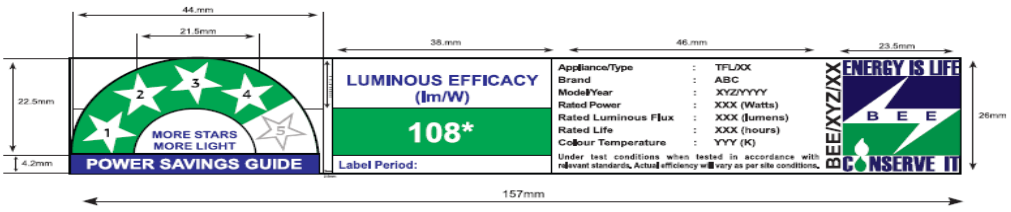






(b)Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020

(i) Dimension of the label to be affixed on outer casing/ sleeve



***Note**: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the size of the outer casing, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.*

(ii) Dimension of the label to be stamped on the tubular fluorescent lamp



***Note**: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the diameter of the tubular fluorescent lamp, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.*

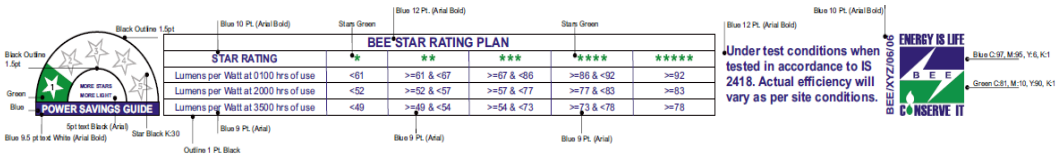
(ii) the following colour scheme for the label, namely :-

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

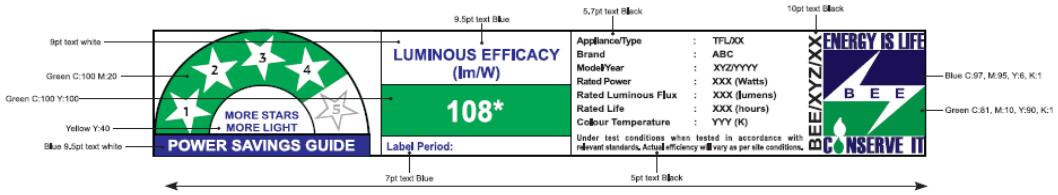
GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

Note**: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE

(a) Valid till 30th June, 2018



(b) Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020



(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150^{o} Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be self-adhesive and printed on the tubular fluorescent lamp and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I

[*See* regulation 6]

Application for permission to affix label on Tubular Fluorescent Lamp under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066

India.

1. I/We are the manufacturers of tubular fluorescent lamp carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on tubular fluorescent lamps as specified under these regulations.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) and is manufactured at (Name and address of the factory).

3. Details of Information: The details of information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for test, products, labels and payment is given in Annexure to this Form. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

 (a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

 (b) Contact person : (Name and Designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

 (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b).

4. Conformance to standards : I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect of Quality System/ Other Standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the (name of the equipment).

A copy of the Licence/Certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electrotechnical Commission standards as specified in S.O…

Laboratory details:

(a) Accreditation Board:

IndiaCode

(b) Accreditation status:

(i) For Laboratory: (Yes/No)

(ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)

(c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to..... Current Year from..... to..... (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode.

(b) A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees.....has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

(c) I/We agree to pay the labelling fee of five paisa per label as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisday of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of firm

Annexure

[*See* para 3 of Form I]

Details of Information

1. **Product/ Equipment Detail**

1.1 General:

Name of manufacturer and brand	
Size of tubular fluorescent lamp in millimetres	
Colour temperature of tubular fluorescent lamp	
Trade name of the tubular fluorescent lamp	
Model and year of manufacture	
Registration number and date of the trade mark(s)	
Rating of the tubular fluorescent lamp in watts	
ISI Certificate details (Attach copy of the certificate)	
Quality System Certificate details (Attach copy of	

the certificate)	
Luminous efficacy (in lumens/Watts)	

1.2 Technical Details:

SI. No.	Model Name/ No.	Measured Values				Declared Values				
		Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	Remarks

2. Details of the Company:

Name of the Company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Documents to be submitted by the permittee at the time of submission of label security fee: (1) Covering letter (2) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (3) Trade Mark Certificate (4) SSI Certificate, if applicable (5) Quality Management System Certificate (6) Authorised Signatory Letter (7) BIS License, if applicable (8) Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

IndiaCode

3. Details of the manufacturing premises:

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	

Website	
Any other details (if any)	

4. Details of Test Laboratory:

Name of the test Laboratory	
Accreditation status of the Laboratory (Attach copy of the accreditation certificate)	
Accreditation status of the Relevant Standard (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the Accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-Mail	
Web site	

IndiaCode

5. **Labelling Information:**

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year— for the second year— for the third year—	
Production serial number	From to.....

6. **Payment details:**

	Total Amount	Details of Payment (Demand Draft details/ electronic payment details)
Application fee **Security fee**		

Date:

Signature.....

Name

Designation

For and on behalf of

(Name of the firm)

Seal of firm

FORM II

[*See* regulation 7(1)]

Permission / Renewal of Permission to affix label on Tubular Fluorescent Lamp under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017

New Delhi, dated.....

To

.....

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7, Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approval set out in the Annexure to this Form.

2. This permission is subject to—

(a) the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp and terms and conditions provided in these regulations;

(b) the label stamped only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;

(c) the label printed or affixed on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;

(d) the star level displayed on the tubular fluorescent lamps shall be maintained at all time by the permittee;

(e) the payment of label fee of five paisa per label by the permittee;

(f) (i) the furnishing by the permittee to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the closure of each quarter of the financial year;

(ii) the same details furnished to the Bureau through automated system;

(g) such other details of tubular fluorescent lamp the permittee shall make available as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid from toand may be renewed in accordance with the provisions of these regulations.

4. The permittee shall not withdraw the tubular fluorescent lamp from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

5. The unique label series code assigned by the Bureau for the equipment is..... and should appear on the label as per the approved design.

6. Where the star level plan on review is modified by the Central Government, the star level of the tubular fluorescent lamp shall be deemed to be modified to the following options namely:-

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau within six months of the date from which new star level comes in to force;

(b)where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

IndiaCode

Annexure

[*See* para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment:

Size of tubular fluorescent lamp in millimetres
Colour temperature of tubular fluorescent lamp
Year of manufacture
Registration number and date of the trade mark(s)
Rating of the tubular fluorescent lamps in watts

Sl. No.	**Model Name /No.**	**Measured Values**				**Declared Values**				
		Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level	Remarks

IndiaCode

2. Label Details:

Equipment	
Type	
Name of the manufacturer/importer/brand	
Model name/number	
Star level	
Size of tubular fluorescent lamp	
Year of manufacture	
Luminous efficacy (lm/W)	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the outer casing/ sleeve and the tubular fluorescent lamp is shown below:

(1) Outer Casing / Sleeve

(a) Valid till 30th June, 2018

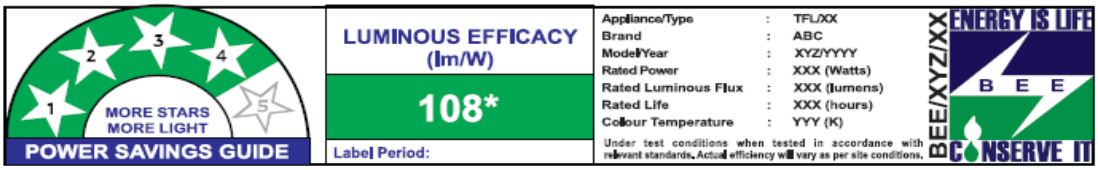


BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	*	**	***	****	*****
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 & <67	>=67 & <86	>=86 & <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 & <57	>=57 & <77	>=77 & <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 & <54	>=54 & <73	>=73 & <78	>=78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



(b) Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing/ sleeve of the tubular fluorescent lamp.

(2) Tubular fluorescent lamp



4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date:

Signature.....
Name
Designation
For and on behalf of
.....
(Name of the firm)
Seal of firm

IndiaCode

FORM III

[*See* regulation 7(2)]

Register of permittee to be maintained by the Bureau of Energy Efficiency

SI. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (contact person, address, Pin Code, State, phone number, fax number, E-mail, website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	Bureau permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security fee	Label security fee received by (crossed demand draft (details)/ electronic transaction (details): date:)	Amount of application fee received	Details of application fee received by (crossed demand draft (details)/electronic transaction (details): date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labelling fee payable to Bureau for each financial year	Labelling fee details received for each financial year (cross demand draft (details)/electronic transaction (details): date:)	Remarks.
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[*See* regulation 7(7)]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each model, a separate letter to be submitted with Annexure)

(on the letter head of corporate body/ permittee)

Dated:

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017 on revision of star level effective from…….

1. I/ We are the manufacturers / importers of tubular fluorescent lamp carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix the label on tubular fluorescent lamp as specified by the Bureau which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table … as specified in the notification number S.O. number. ..…….dated..... for tubular fluorescent lamp. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau label (as per revision of star level change) in respect of the tubular fluorescent lamp is enclosed.

5. Details of the equipment / model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	**Declared Values**	
Power (Watts)	--	
Luminous Flux(Lumens)		
Luminous Efficacy (lm/W)		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application and on the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for tubular fluorescent lamp model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of …….. (Year)

Signature ……

Name ……..

Designation ……

For and on behalf of……

…….

(Name of the firm)

Seal of firm

FORM V

[*See* regulation 11(6)]

Directions to permittee on failure of second check testing

New Delhi, dated the…..

To

.....

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency **(Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps)** Regulations, 2017, you were permitted to affix label on the tubular fluorescent lamp vide the Bureau letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation … of these regulations, had purchased a Bureau star labelled tubular fluorescent lamp from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample dated ……by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3, affixed by you on the aforesaid purchased tubular fluorescent lamp. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number……..was obtained from M/s.....(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O. number ……dated the ….for giving Test Report in accordance with the form ….given in Annexure to S.O. number ……..dated the ……..

4. The results of the test report on the sample bearing unique identification serial number is enclosed. The results of the test report indicated that the sampled tubular fluorescent lamp failed to meet the energy consumption standard, lumens, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the tubular fluorescent lamps manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau letter No.....dated.....in the name of your authorised contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The sample for second check verification test was picked up ….dated the …. through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorised agency, duly sealed by M/s..... and was given unique identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification agency as well as your representatives.

IndiaCode

6. The test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number…dated ….and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the tubular fluorescent lamps manufactured/imported and sold in the market.

7. The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamps or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months i.e. byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.

9. The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model

2. Correspondence with the manufacturer

Form VI

[*See* regulation 11(7(a))]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To Dated…..

The Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017**,**we M/s.....the manufacturer of tubular fluorescent lamp were permitted to affix label on the tubular fluorescent lamp conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017, we were given directions vide the Bureau letter number.....dated..... totake necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.

(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature……..
Name……
Designation……..
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm
Seal of the Company/Firm

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./464/17]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.